"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी.ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2004—चैत्र 6, शक 1926

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पुरुषोत्तम दास आ. स्व. गंगादास स्वामी निरीक्षक, सी. आई. एस. एफ. यूनिट, बी. एस. पी., भिलाई निवासी वर्तमान—5-I क्रॉस स्ट्रीट-3, सेक्टर-6, भिलाई (छत्तीसगढ़) स्थायी निवासी ग्राम व पोस्ट नांगल बैरसी, जिला दौसा (राजस्थान) का हूं, मैं अपना उपनाम परिवर्तन कर पुरुषोत्तम दास स्वामी, आ. स्व. गंगादास स्वामी रख लिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र दे दिया हूं. अत: भविष्य में मुझे पुरुषोत्तम दास स्वामी आ. स्व. गंगादास स्वामी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
पुरुषोत्तम दास
आ. स्व. गंगादास स्वामी
निरीक्षक, सी. आई. एस. एफ.
यूनिट, बी. एस. पी. भिलाई, जिला दुर्ग.

नया नाम
पुरुषोत्तम दास स्वामी
आ. स्व. गंगादास स्वामी
निरीक्षक, सी. आई. एस. एफ.
यूनिट, बी. एस. पी. भिलाई, जिला दुर्ग.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यांयालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक /15/अविअ/ट्रस्ट/04.—चूंकि, खादी एवं पोली वस्त्र कारीगर कल्याण एवं पेंशन ट्रस्ट, रायपुर ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1961 (27 जून 1961) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है.

अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 23-3-2004 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के पन्द्रह दिवस के भीतर में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें. और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेंट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किए गए आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

अचल संपत्ति : निरंक.

चल संपत्ति : निरंक.

के. के. बक्शी,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.